न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपीलः 01/2020

दायर दिनांकः 09.01.2020

निर्णय दिनांक 15.03.2021

—:अनवानः—

श्री दिनेश पिता अम्बालाल जाति राव आयु वयस्क निवासी साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 66/2019 ना0क0 सरकार बनाम दिनेश निर्णय दिनांक 21.10.2019 से व्यथित होकर

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 21.10.2019 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2020 को अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

पटवार हल्का साकरोदा के द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम साकरोदा तहसील आमेट के आराजी नम्बर 798 रकबा 01 हैक्टर बिलानाम भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए उप तहसीलदार, सरदारगढ के यहॉ रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया, अतः इसके विरूद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कराना फरमावें। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है जो कि कानूनन नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश खारीज किये जाने योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। सर्व प्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 30 वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर नियमित रूप से काश्त की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया है। और सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध हैं। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जो नियमन योग्य नहीं है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम साकरोदा तहसील आमेट के आराजी नं0 798 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश न कर बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है और न ही ऐसा कोई प्रावधान बताया है। जिससे वादग्रस्त भूमि नियमन योग्य हो। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के द्वारा दिनांक 21.10.2019 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार, सरदारगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उप तहसीलदार, सरदारगढ को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)